सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय

पत्रकार कोलोनी लिंक रोड- **462016**
ई-मेल **dir.socialjustice@mp.gov.in**

क्र./VC /2026/I/892384/2026 दिनांक18-03-2026

प्रति,

समस्त संयुक्त /उप संचालक
सामाजिक न्याय एवं दिव्यान्गजन सशक्तिकरण विभाग
म.प्र.।

विषय:- दिनांक 11/03/2026 को आयोजित वी.सी. के कार्यवाही विवरण के संबंध में।

--00--

दिनांक **11/03/2026** को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभागीय योजनाओं/विभागीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई, जिसमें सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय एवं जिले के अधिकारी/कर्मचारी गण उपस्थित रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंस में निम्नलिखित निर्देश दिये गये:-

---0---

1. सर्वप्रथम मुख्यमंत्री हेल्पलाईन में दिव्यांग विद्यार्थियों को लैपटॉप प्राप्त ना होने संबंधित लंबित शिकायतों की समीक्षा की गई। जबलपुर, भोपाल एवं ग्वालियर जिले में अधिक संख्या में लैपटॉप प्रदान ना करने संबंधित शिकायतें लंबित पाई गई। समस्त जिला अधिकारियों को अगली वी.सी. से पूर्व समस्त लंबित शिकायतों का निराकरण किये जाने के निर्देश दिये गये।

क्र.	शिकायत क्रमांक	नाम	जिला	लंबित दिवस
1	35745116	राजू	ग्वालियर	90
2	35905712	मुनेश	ग्वालियर	84
3	36226178	नरेश कुमार	ग्वालियर	63
4	36279122	गोविन्द्र जी	ग्वालियर	60
5	35386612	वृंदावन	ग्वालियर	114
6	36185045	मनोज कुमार	छतरपुर	66
7	35682738	आर्यन	जबलपुर	96
8	35713099	गोविन्द	जबलपुर	94
9	35712767	विवेक	जबलपुर	94
10	35717855	आदित्य कुमार	जबलपुर	94
11	35713229	शाह्जन खान जी	जबलपुर	94
12	35733231	प्रियांश	जबलपुर	93
13	35722320	चांदपाल	जबलपुर	93
14	35733334	जितेन्द्र	जबलपुर	93
15	35733217	सत्यकान्त	जबलपुर	93
16	35727190	राजू	जबलपुर	93
17	35725420	अमित	जबलपुर	93
18	35734881	महावीर	जबलपुर	92
19	35756035	मनीष	जबलपुर	91
20	35780656	सौरभ	जबलपुर	90
21	35864566	संदीप	जबलपुर	86
22	36920736	संजय	धार	18
23	34554727	अमित	नरसिंहपुर	170

24	35605549	दीपक	भोपाल	101
25	36737315	दीपक	भोपाल	30
26	36747781	Deepak	भोपाल	29
27	36789050	Deepak	भोपाल	26
28	37041388	आनंद	भोपाल	11
29	37155289	प्रिंस घोसी जी	सागर	2
30	37154029	राकेश	सिवनी	2
31	36554902	मनीष	सीहोर	42
32	36623726	मनीष	सीहोर	38

2. विभाग में अत्यधिक समय से लंबित शिकायतों की समीक्षा की गई। जिला बालाघाट एवं शाजापुर में 1000 दिवस, इसी प्रकार जिला धार एवं छिन्दवाडा में 900 दिवस व मंदसौर में 800 दिवस से अधिक समय से लंबित शिकायत पाई गई। संबंधित जिलों के अधिकारियों से चर्चा कर तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिये गये।

क्र.	शिकायत क्रमांक	नाम	जिला	लंबित दिवस
1	21364592	राम जी	बालाघाट	1094
2	22670240	मुकेश कुमार	शाजापुर	1002
3	23582257	मोहनलाल गोयल	धार	948
4	24278201	नविन	छिन्दवाडा	908
5	25158137	नविन	मंदसौर	831

3. मुख्यमंत्री हेल्पलाईन में विभाग अंतर्गत 100 दिवस से लंबित शिकायतों की समीक्षा की गई। विशेषकर भोपाल, भिण्ड एवं शहडोल जिलों में अधिक संख्या में शिकायतें लंबित पाई गई। उल्लेखनीय है कि भोपाल जिले में सर्वाधिक 165 शिकायतें लंबित पाई गई, जिनमें से 59 शिकायतें केवल कन्या विवाह योजना से संबंधित पाई गई हैं। हितग्राहियों को योजनान्तर्गत भुगतान किये जाने का प्रकरण सी.एम. ए मानिट में भी लंबित पाया गया है। प्रकरण में नगर निगम भोपाल के आवेदन भुगतान हेतु लंबित पाये गये हैं। अत: प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत संबंधित निकाय के सामाजिक सुरक्षा अधिकारी को तत्काल निराकरण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये। सी.एम. हेल्पलाईन की मासिक ग्रेडिंग में भी भोपाल जिले को लगतार कई माहों से डी-ग्रेड प्राप्त हो रहा है। इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गई एवं भविष्य के लिये सचेत किया गया।
4. विभाग की लोक सेवा गारंटी अधिनियम में अधिसूचित सेवाओं के अंतर्गत प्राप्त समय-सीमा बाहय आवेदनों की समीक्षा की गई एवं तत्काल लंबित आवेदनों का निराकरण करवाने के निर्देश दिये गये। मंदसौर, पन्ना एवं नरसिंहपुर जिलों में अधिक संख्या में आवेदन लंबित पाये गये।
5. मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन के प्रकरणों की समीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि जिला जबलपुर में सी.एम. हेल्पलाईन में भी लैपटॉप के संबंध में सर्वाधिक शिकायतें है साथ ही स्पर्श पोर्टल पर भी वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में सर्वाधिक आवेदन लंबित है। जिले के संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा संतोषजनक जानकारी प्रदान नहीं की गई। कार्यालय प्रमुख द्वारा संबंधितों को कारण बताओं सूचना-पत्र जारी करने हेतु निर्देशित किया गया। समस्त जिला अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे विभाग के विभिन्न पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करें व नियमानुसार निराकरण की कार्यवाही समय-सीमा में सुनिश्चित करें।
6. शासन द्वारा जारी पत्र क्रं. 1/224477/2025 दिनांक 21/03/2025 में वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान केवल विभागीय पोर्टल पर ऑनलाईन करने पर ही दिये जाने के निर्देश दिये गये थे, किंतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में माह अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 तक अनुदान प्राप्त संस्थाओं व डीडीआरसी द्वारा ऑनलाईन आवेदन की समीक्षा की गई, जिसमें 28 जिलों की

अशासकीय संस्थाओं द्वारा 1 भी ऑनलाईन आवेदन अनुदान हेतु नहीं किया गया है, इसी प्रकार जिला दिव्यांग पुर्नवास केन्द्र के संचालन एवं कर्मचारियों के मानदेय हेतु भी 33 जिला दिव्यांग पुर्नवास केन्द्र के द्वारा ऑनलाईन आवेदन नहीं किया गया है, जबकि शासन के निर्देशों के विपरीत जिला अधिकारियों द्वारा बिना ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करे ही अशासकीय संस्थाओं/ डीडीआरसी को भुगतान किया जा रहा है। इससे स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि जिला अधिकारियों द्वारा शासन/ संचालनालय के निर्देशानुसार अपेक्षित कार्यवाही नहीं की जा रही है, यह विभागीय कार्य के प्रति आपकी लापरवाही को प्रदर्शित करता है। समस्त जिला अधिकारियों को शासन / संचालनालय के निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। भविष्य में यदि किसी भी जिले द्वारा बिना ऑनलाईन आवेदन किये ही भुगतान किया जाता है तो जिला अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जायेगी।

7. शासकीय विशेष विद्यालयों / विभागीय मान्यता प्राप्त अशासकीय संस्थाओं एवं जिला दिव्यांग पुर्नवास केन्द्र इत्यादि को विभागीय पोर्टल पर onboard करने हेतु दिनांक 14/06/2022 को संचालनालय से पत्र जारी किया गया था, किंतु विगत 3 वर्षो में विभिन्न पत्रों एवं विभागीय VC /समीक्षा बैठकों में सतत् मॉनिटरिंग करने के उपरांत भी समस्त शासकीय संस्थाओं, अशासकीय संस्थाओं एवं डीडीआरसी को विभागीय पोर्टल पर Onboard नहीं किया गया है साथ ही मोबाइल एप्प से सतत् निरीक्षण भी नहीं किया जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा अधिकारी से मोबाइल एप्प के माध्यम से प्रतिमाह आपके जिले की समस्त शासकीय/ विभागीय मान्यता प्राप्त अशासकीय संस्थाओं एवं डीडीआरसी का निरीक्षण कराना सुनिश्चित करें व निरीक्षण रिपोर्ट की समीक्षा करें। ग्रेडिंग C अथवा D आने पर संस्था के विरूद्व नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे। सतत् 3 माह संस्था की ग्रेडिंग C अथवा D आने पर संस्था की मान्यता समाप्त करने हेतु प्रस्ताव संचालनालय को प्रेषित किया जाये।
8. eHRMS पोर्टल पर Onboarding के संबंध में चर्चा की गई। विभाग के समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों को eHRMS पोर्टल पर Onboard करने हेतु सतत् लेख किया जा रहा है, किंतु बार-बार लेख करने के उपरांत भी समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों को eHRMS पोर्टल पर Onboard नहीं करने पर प्रमुख सचिव/ आयुक्त महोदया द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गई है। ट्रेजरी से प्राप्त डेटा के अनुसार विभाग में 1242 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत है, किंतु केवल 725 अधिकारी/कर्मचारियों को ही eHRMS पोर्टल पर Onboard किया गया है। प्रमुख सचिव/ आयुक्त महोदया के निर्देशानुसार यदि दिनांक 20 मार्च 2026 तक जिला अधिकारियों / शासकीय विद्यालयों द्वारा विभाग के समस्त अधिकारियों/ कर्मचारियों को eHRMS पोर्टल पर onboard नहीं कराया जाता है, तो उस जिले के अधिकारी, स्थापना लिपिक को लैपटॉप एवं अधिकारियों/ कर्मचारियों की समस्त जानकारी, Service Book सहित संचालनालय में उपस्थित होकर जानकारी को eHRMS पोर्टल पर दर्ज करना होगा।
9. इसी प्रकार जनवरी 2026 से समस्त अधिकारी / कर्मचारी केवल eHRMS के माध्यम से ही अवकाश हेतु आवेदन करने हेतु पत्र जारी किया गया था किंतु केवल जिला अनुपपूर, खरगौन, दतिया, शाजापुर एवं नीमच के अतिरिक्त किसी भी जिले में eLeave के माध्यम से आवेदन नहीं किया गया है जबकि उक्त अवधि में बहुत से अधिकारी/कर्मचारी अवकाश पर गये थे। अत: समस्त अधिकारी/कर्मचारी यह सुनिश्चित करें कि वे अवकाश हेतु आवेदन HRMS पोर्टल पर करें।
10. वित्तीय वर्ष 2025-26 में HRMS पोर्टल पर APR अपलोड करने हेतु भी निर्देशित किया गया था किंतु केवल जिला बुरहानुपर, पन्ना, सतना एवं शाजापुर के कुछ अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा ही APR को HRMS पोर्टल पर अपलोड किया गया है। अत: समस्त अधिकारी/कर्मचारी 31 मार्च 2026 तक APR को HRMS पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
11. जे.जे.सी के निर्देशानुसार दिव्यांगजनों की पहचान हेतु विभिन्न जिलों में स्क्रीनिंग कैंप आयोजित कराये जाने हेतु तथा स्क्रीनिंग कैंप हेतु रोस्टर संचालनालय को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया ।

12. भारत सरकार द्वारा संचालित विभागीय पेंशन योजनाओ के हितग्राहियों केDLC certificate जारी करने हेतु निर्देशित किया गया ।

Digitally signed by
Suchita Tirkey Beck
Date: 18-03-2026
12:35:15

कार्यालय प्रमुख
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन
सशक्तिकरण संचालनालय भोपाल म.प्र.

क्र./VC /2026/I/892384/2026 दिनांक18-03-2026

प्रतिलिपि:

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग – सूचनार्थ।
2. निज सचिव, आयुक्त , सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग – सूचनार्थ।
3. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश – सूचनार्थ।
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत – सूचनार्थ।
5. समस्त अनुभाग प्रभारी, संचालनालय – सूचनार्थ।
6. समस्त जिला समन्वयक, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी – सूचनार्थ ।
7. समस्त सामाजिक सुरक्षा अधिकारी/समन्वयक – सूचनार्थ।
8. समस्त समग्र संयोजक सूचनार्थ ।

कार्यालय प्रमुख
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन
सशक्तिकरण संचालनालय भोपाल म.प्र.